सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-3298/MCOL/57/2025-RU-IV

दिनांक: 22.07.2026

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन,परिसर सं.- 04 MAR
प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156
ई-मेल: chairman.cil@coalindia.in

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (WCL),
कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स,
नागपुर, महाराष्ट्र 440001
ई-मेल आईडी: cmd.wcl.cil@coalindia.in

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अभ्यावेदन—लगातार उत्पीड़न, बदले की भावना से किया गया स्थानांतरण और याचिकाकर्ता की शिकायत पर प्रबंधन द्वारा कार्रवाई करने में विफलता के संबंध में डॉ. श्वेता गिरिधर घरतकर, उप चिकित्सा अधीक्षक, डब्ल्यूसीएल, उमरेड एरिया हॉस्पिटल उमरेड (महाराष्ट्र) का दिनांक 08.11.2025 का अभ्यावेदन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

डॉ. श्वेता गिरिधर घरतकर,
उप चिकित्सा अधीक्षक,
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, उमरेड एरिया हॉस्पिटल,
उमरेड,(महाराष्ट्र)

डॉ. श्वेता गिरिधर घरतकर,
प्लॉट नं. 68, विकास कॉलोनी,
बाय पास चौक, मेश्राम कॉम्प्लेक्स के पास,
पोस्ट-उमरेड, जिला-नागपुर
महाराष्ट्र – 441203

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/ATY-3298/MCOL/57/2025-RU-IV

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH Act), 2013 के अंतर्गत प्रतिनिधित्व – लगातार उत्पीड़न, प्रतिशोधात्मक स्थानांतरण तथा याचिकाकर्ता की शिकायत पर वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के प्रबंधन द्वारा कथित रूप से उचित कार्रवाई न किए जाने के संबंध में डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर, उप चिकित्सा अधीक्षक, उमरेड एरिया अस्पताल, वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड, उमरेड, नागपुर (महाराष्ट्र) के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर, उप चिकित्सा अधीक्षक, उमरेड एरिया अस्पताल, वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा दिनांक 08.11.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया था कि उनके वरिष्ठ अधिकारी एवं WCL, उमरेड अस्पताल के प्रभारी डॉ. संजय कुमार द्वारा उनके साथ बार-बार अनुचित व्यवहार, अशोभनीय टिप्पणियां तथा डराने-धमकाने वाला व्यवहार किया गया। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 04.02.2023 को इस संबंध में मौखिक शिकायत की गई थी तथा बाद में दिनांक 06.02.2023 को आरोपी अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। प्रार्थिनी ने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के उपरांत उन्हें प्रतिशोधात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रशासनिक कार्यों से पृथक रखना, प्रतिकूल टिप्पणियां करना तथा अंततः दिनांक 06.06.2025 को उनका माजरी क्षेत्र में स्थानांतरण किया जाना शामिल था। प्रार्थिनी ने अपने माता-पिता की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख करते हुए स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार तथा यौन उत्पीड़न शिकायत की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

3. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 02.12.2025 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 01.01.2026 को अनुस्मारक जारी किया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 22.01.2026 को सिटिंग आयोजित की गई।

4. दिनांक 22.01.2026 को आयोजित सिटिंग में वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों तथा प्रार्थिनी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी की शिकायत प्राप्त होने के उपरांत आरोपी अधिकारी डॉ. संजय कुमार को दिनांक 09.02.2023 को उमरेड क्षेत्र से कानहन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला पुलिस जांच एवं न्यायालयीन विचाराधीन प्रक्रिया में है। आयोग द्वारा दिनांक 22.01.2026 को यह अनुशंसा की गई थी कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा आरोपी अधिकारी को उनके निकटवर्ती

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

क्षेत्र में पदस्थापित न किया जाए। साथ ही, मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

5. आयोग की उपर्युक्त अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 17.06.2026 को माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य द्वारा पुनः सिटिंग आहूत की गई।

6. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रतिनिधिगण तथा प्रार्थिनी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी एवं आरोपी अधिकारी को वर्तमान में एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित क्षेत्रों में पदस्थापित किया गया है, जिससे दोनों के मध्य किसी प्रकार के प्रत्यक्ष संपर्क की संभावना नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विधिक एवं न्यायिक कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

7. प्रार्थिनी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि यद्यपि वर्तमान में उन्हें आरोपी अधिकारी से दूर पदस्थ किया गया है, तथापि उन्हें उनके पद एवं दायित्वों के अनुरूप बैठने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि यौन उत्पीड़न प्रकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों एवं मानसिक प्रताड़ना को दृष्टिगत रखते हुए उनके लगभग आठ माह के अनुपस्थिति काल का नियमितीकरण किया जाए। प्रार्थिनी ने आयोग से यह भी अनुरोध किया कि उन्हें उनके पद के अनुरूप कार्यस्थल पर सम्मानजनक एवं उपयुक्त कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

8. मामले की सुनवाई के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति के होते हैं तथा ऐसे मामलों में नियोक्ता संस्थान का दायित्व है कि पीड़ित कर्मचारी की सुरक्षा, गरिमा एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवलोकन किया कि प्रार्थिनी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विधिक कार्यवाही प्रचलित है, अतः आयोग आपराधिक प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं –

1. वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड यह सुनिश्चित करे कि प्रार्थिनी एवं आरोपी अधिकारी को पृथक-पृथक क्षेत्रों में ही पदस्थ रखा जाए, जिससे प्रार्थिनी की सुरक्षा एवं गरिमा पूर्णतः सुनिश्चित हो सके।
2. वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड यह सुनिश्चित करे कि प्रार्थिनी को उनके पद, वरिष्ठता एवं सेवा शर्तों के अनुरूप उचित बैठने की व्यवस्था एवं कार्य आवंटन उपलब्ध कराया जाए तथा उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा कार्यस्थलीय प्रताड़ना अथवा असुविधा का सामना न करना पड़े।
3. यौन उत्पीड़न प्रकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों एवं प्रार्थिनी की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लगभग आठ माह की अनुपस्थिति काल के नियमितीकरण के संबंध में प्रचलित नियमों के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. चूंकि प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज है एवं न्यायिक कार्यवाही प्रचलित है, अतः वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड यह सुनिश्चित करे कि प्रार्थिनी को विधिक प्रक्रिया के दौरान आवश्यक संस्थागत सहयोग एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जाए।

5. उपर्युक्त अनुशंसाओं के अनुपालन में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

....

फाइल. सं NCST/ATY-3298/MCOL/57/2025-RU-IV

दिनांक: 17.06.2026

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अभ्यावेदन-लगातार उत्पीड़न, बदले की भावना से किया गया स्थानांतरण और याचिकाकर्ता की शिकायत पर प्रबंधन द्वारा कार्रवाई करने में विफलता के संबंध में डॉ. श्वेता गिरिधर घरतकर, उप चिकित्सा अधीक्षक, डब्ल्यूसीएल, उमरेड एरिया हॉस्पिटल उमरेड (महाराष्ट्र) का दिनांक 08.11.2025 का अभ्यावेदन के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेदु कांत	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन,परिसर सं.- 04 MAR प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता -700156

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Bikram Ghosh	Dir (HR)		
2.	राजेश वी नायर	महाप्रबंधक (मा.सं.)	9422180393	[signature]
3	पियुष चालक	स्थापना अधिकारी	9983955755	[signature]

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (WCL), कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स,
नागपुर, महाराष्ट्र 440001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Bikram Ghosh	Dir (HR)	6294232700	[signature]
2.	P.S. Pal	DyGM (HR) IR	9422843321	[signature]
3.	Atul Bansod	Mgr (HR) LO (SC/ST)	9960736128	[signature]
(4)				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Dr Shweta Gharatkar	Dy M.S	8605566312	[signature]
2.				
3.				